

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

रामेश्वर सिंह मलिक नयायाधीश, के सामने

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम--याचिकाकर्ता

बनाम

हरजीत सिंह-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 2013 का 14405

जुलाई 9, 2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226/227 - रिट क्षेत्राधिकार - बिजली अधिनियम, 2003 -एस.145 - बिजली शुल्क के भुगतान में चूक के कारण बिजली आपूर्ति काटे जाने के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर - क्या सिविल कोर्ट क्षेत्राधिकार के तहत वर्जित है विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 145 अधिनियम की धारा 56 के तहत मुद्दे का निर्धारण करने के लिए - माना जाता है कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 126 के तहत अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई या धारा 127 के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश से उत्पन्न होने वाले मामलों के लिए प्रतिबंधित है। अधिनियम की - अधिनियम की धारा 42 में यह प्रावधान नहीं है कि अधिनियम के तहत फोरम की स्थापना पर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित होगा।

यह निर्धारित किया गया कि विधायिका ने, अपने विवेक से, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केवल अधिनियम की धारा 126 के तहत अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई या धारा 127 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश और उसके अंतर्गत आने वाले संबंधित मामले से उत्पन्न होने वाले मामलों तक सीमित कर दिया है। चूंकि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 56 के तहत विवादित कार्रवाई की गई है, इसलिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को रोकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार, विद्वान सिविल कोर्ट ने आक्षेपित आदेश

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)
पारित करते समय कानून में कोई त्रुटि नहीं की है, जिसे इस कारण से भी बरकरार रखा जाना चाहिए।

(पैरा 13)

8. विद्युत अधिनियम, 2003-एस. 42(5) - चुनाव का सिद्धांत - उपभोक्ता के पास सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले अधिनियम की धारा 42(5) के तहत शिकायत निवारण प्रणाली का सहारा लेने का विकल्प है - परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर, उपभोक्ता अभी भी सिविल कोर्ट में उनके विवाद के फैसले के लिए संपर्क कर सकता है-रिट याचिका खारिज कर दी।

निर्धारित किया गया कि धारा 42 में यह प्रावधान नहीं है कि फोरम बनने और कार्रवाई में आने के बाद सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाएगा। बल्कि धारा 42(8) में विशेष रूप से कहा गया है कि उपधारा (5), (6) और (7) के प्रावधान उपभोक्ता के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे जो उसे इन उपधाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकार से अलग हो सकता है। यदि ये उप-धाराएँ नहीं होतीं, तो उपभोक्ताओं के लिए निवारण का एकमात्र उपाय सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होता। विद्युत अधिनियम में कोई अन्य तंत्र प्रदान नहीं किया गया है जहां कोई उपभोक्ता दोषपूर्ण बिल के खिलाफ जा सके। इस प्रकार जहां कोई बिल दोषपूर्ण है, उपभोक्ता के पास विकल्प है कि वह सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले धारा 42(5) के तहत बनाई गई शिकायत निवारण प्रणाली का सहारा ले सकता है। हालाँकि, शिकायत निवारण प्रणाली से संपर्क करने के बाद भी, यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास अभी भी अपने विवाद के फैसले के लिए सिविल अदालत में जाने का उपाय है।

याचिकाकर्ता के लिए वकील सुयश एम. गुरु।

रामेश्वर सिंह मलिक, न्यायाधीश।

- (1) कानून का संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जो तत्काल रिट याचिका में इस न्यायालय के विचाराधीन है, वह यह है कि क्या किसी भी मुद्दे को निर्धारित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 145 के तहत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अधिनियम की धारा 56 के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर रोक है या यह

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

केवल अधिनियम की धारा 126 और 127 के तहत पारित किसी भी आदेश से उत्पन्न होने वाले मुद्दों तक ही सीमित होगी।

(2) तथ्य पहले। 'वर्तमान रिट याचिका विद्वान सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) नारायणगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.12.2012 (अनुलग्नक पी-1) के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत विद्वान सिविल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को वादी द्वारा बिल राशि का 40% 15 दिनों के भीतर जमा करने की शर्त पर बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश जारी किया था। घोषणा के मुकदमे में सीपीसी की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत दायर एक आवेदन में विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किया गया। वर्तमान प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता की उस कार्रवाई को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें बिजली शुल्क के भुगतान में कथित चूक के कारण उसकी विद्युत आपूर्ति काट दी गई थी। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया बिजली बिल (अनुलग्नक पी-2) बढ़ा हुआ और दोषपूर्ण था, इस प्रकार यह अवैध है। उन्होंने अपनी विद्युत आपूर्ति काटने के आदेश (अनुलग्नक पी-3) को भी चुनौती दी। इस संबंध में विवरण वादी (अनुलग्नक आईएम) में उल्लिखित है। याचिकाकर्ता ने अपना लिखित बयान (अनुलग्नक पी-5) दाखिल किया, जिसमें उसने अधिकार क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठाया। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि प्रतिवादी, वादपत्र (अनुलग्नक पी-4) में लगाए गए अपने आरोपों के अनुसार, घरेलू उद्देश्यों के लिए बिजली का उपभोग कर रहा था और कथित बकाया के कारण उसका बिजली बिल 79745/- रुपये था। मामले की इसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

(3) अपना एकल तर्क उठाते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित अंतरिम आदेश दिनांक 3.12.2012 (अनुलग्नक पी-1), आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन में धारा 151 सीपीसी के साथ पढ़ा गया था। प्रतिवादी द्वारा दायर घोषणा के लिए मुकदमा क्षेत्राधिकार के बिना था, क्योंकि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 145 के तहत वर्जित था। मैं आगे कहता हूँ कि चूंकि विद्वान सिविल कोर्ट के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, इसलिए उसके पास विवादित आदेश पारित करने का भी कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस संबंध में वह अधिनियम की धारा 56 का हवाला देते हैं। ताकि यह प्रस्तुत किया जा सके कि प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 42(5) के तहत स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

समक्ष जाना चाहिए था। वह वर्तमान रिट याचिका को अनुमति देकर विवादित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना करता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अपने तर्कों को प्रमाणित करते हुए **महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग बनाम रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और अन्य¹**, **हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बनाम माम चंद²**, **लेखा अधिकारी, झारखंड राज्य बिजली बोर्ड और अन्य बनाम अनवर एएच³** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हैं और **धीरज सिंह बनाम बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लिमिटेड⁴** में दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को काफी विस्तार से सुनने के बाद, आसानी के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने और उठाए गए विवादों पर विचारशील विचार करने के बाद, यह अदालत इस बात पर सहमत है कि वर्तमान याचिका एक गलत धारणा वाली रिट याचिका है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय इस न्यायालय के लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहने के लिए, कारण एक से अधिक हैं, जिन्हें आगे दर्ज किया जा रहा है।

(5) चूंकि यहां मुद्रा सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का है, इसलिए अधिनियम की धारा 145 को पुनः प्रस्तुत करना उचित है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :-

“145. सिविल न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार नहीं है किसी भी सिविल न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे पर विचार करने या कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे धारा 126 में निर्दिष्ट एक मूल्यांकन अधिकारी या धारा 127 में संदर्भित एक अपीलीय प्राधिकारी या इस अधिनियम के तहत नियुक्त टीआईसी निर्णायक अधिकारी को अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अदालत या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।”

¹ (2007) 8 SCC 381

² (2006) 4 SCC 649

³ (2007) 11 SCC 753

⁴ 127(2006) OUT 525

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

(5) उपभोक्ता-प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 56 के तहत की गई याचिकाकर्ता की कार्रवाई को चुनौती देते हुए, सक्षम क्षेत्राधिकार की सीडी अदालत के समक्ष सिविल मुकदमा दायर किया है, जो इस प्रकार है: -

“56. भुगतान में चूक होने पर आपूर्ति का विच्छेदन - (1) जहां कोई व्यक्ति आपूर्ति, पारेषण या वितरण या व्हीलिंग के संबंध में किसी लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी को बिजली के लिए किसी शुल्क या बिजली के शुल्क के अलावा किसी अन्य राशि का भुगतान करने में उपेक्षा करता है। उसे बिजली देने के लिए, लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में कम से कम पंद्रह स्पष्ट दिन का नोटिस देने के बाद और उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस तरह के शुल्क या अन्य राशि को मुकदमे द्वारा वसूलने के लिए बिजली की आपूर्ति काट सकती है और वह उद्देश्य ऐसे लाइसेंसधारी या उत्पादन कंपनी की संपत्ति होने वाली किसी भी विद्युत आपूर्ति लाइन या अन्य कार्यों को काट या डिस्कनेक्ट कर सकता है जिसके माध्यम से बिजली की आपूर्ति, पारेषण, वितरण या पहिया किया जा सकता है और ऐसे शुल्क या अन्य राशि के साथ-साथ आपूर्ति बंद कर सकता है। आपूर्ति बंद करने और पुनः जोड़ने में उसके द्वारा किए गए खर्च का भुगतान किया जाएगा, लेकिन अब नहीं:

बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति सुरक्षा के तहत जमा करता है तो बिजली की आपूर्ति नहीं काटी जाएगी -

(ए) उससे दावा की गई राशि के बराबर राशि, या

(बी) उसके और लाइसेंसधारी के बीच किसी भी विवाद का निपटारा होने तक, उसके द्वारा प्रत्येक माह के लिए देय बिजली शुल्क की गणना पिछले छह महीनों के दौरान उसके द्वारा भुगतान की गई बिजली के औसत शुल्क के आधार पर की जाएगी, जो भी कम हो।

(2) तत्समय लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस धारा के तहत किसी भी उपभोक्ता से देय कोई भी राशि उस तारीख से दो साल की अवधि के बाद वसूली योग्य नहीं होगी जब ऐसी राशि पहली बार देय हुई हो जब तक कि ऐसी राशि न हो। आपूर्ति की गई बिजली के शुल्क के बकाया के रूप में लगातार वसूली योग्य दिखाया जाएगा और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति में कटौती नहीं करेगा।”

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी-उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 42(5) के तहत गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के पास जाना चाहिए था। धारा 42 के

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

प्रासंगिक उद्धरण को पुनः प्रस्तुत करना भी प्रासंगिक है। तत्काल याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से धारा 42 की प्रासंगिक उपधाराएं उपधारा 5,6,7 और 8 हैं और इन्हें इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"एम2। वितरण लाइसेंसधारियों और खुली पहुंच के कर्तव्य -

(5) प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी, नियत तारीख या लाइसेंस देने की तारीख से छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच स्थापित करेगा।

(6) कोई भी उपभोक्ता, जो उप-धारा (5) के तहत अपनी शिकायतों का निवारण न होने से व्यथित है, अपनी शिकायत के निवारण के लिए राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या नामित लोकपाल नामक प्राधिकारी को अभ्यावेदन दे सकता है।

(7) लोकपाल उपभोक्ता की शिकायत का निपटारा ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से करेगा जो राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(8) उपधारा (5), (6) और (7) के प्रावधान उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे जो उपभोक्ता को उन उपधाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अलावा प्राप्त हो सकता है।"

(9) कानून के उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल सीमित सीमा तक वर्जित है। अधिनियम की धारा 126 के तहत की गई किसी कार्रवाई या धारा 127 के तहत पारित किसी आदेश से उत्पन्न मामलों के लिए। 'याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए एफएचसी तर्क पहली नजर में आकर्षक लगते हैं, हालांकि, जब कानून के उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में जांच की गई, तो इसे सराहनीय पाया गया है, इस प्रकार, इसे खारिज कर दिया जा सकता है।

(10) वर्तमान मामले में यह निर्विवाद तथ्यात्मक पहलू है कि पक्षों के बीच विवाद स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 56 के दायरे में आता है और याचिकाकर्ता का यही तर्क है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि प्रतिवादी के लिए उपलब्ध उपाय केवल अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा 5 के तहत होगा। हालांकि, जब इस तर्क की अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 8 के प्रावधानों के मद्देनजर जांच की जाती है, तो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया तर्क विफल हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि धारा 42(8) की एकमात्र सामंजस्यपूर्ण व्याख्या यह है कि यहां प्रतिवादी की तरह उपभोक्ता को भी विकल्प दिया गया है कि

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

वह या तो अधिनियम की धारा 42(5) के तहत उपाय का लाभ उठाए या वह सिविल कोर्ट का रुख कर सकता है। अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 5,6, और 7 के बावजूद, इसकी उपधारा 8 यह स्पष्ट करती है कि उपधारा 5,6 और 7 में निहित प्रावधान उपभोक्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जिसे वह अलग कर सकता है। इन उपधाराओं द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों से। जब यह विशेष प्रश्न याचिकाकर्ता के विद्वान वकील से पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील इस संबंध में अपने तर्क को प्रमाणित करने में विफल रहे। मैंने साहसपूर्वक कहा कि, इस अदालत को यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादी या तो अधिनियम की धारा 42(5) के तहत गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से संपर्क करने या धारा 42(8) जिसे अधिनियम की धारा 145 के साथ पढ़ा जाए के प्रावधानों को लागू करते हुए सिविल अदालत में जाने का विकल्प चुनने का हकदार है।

(11) कानून के इस टुकड़े को तैयार करते समय, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के पीछे के विधायी इरादे को उचित सम्मान देते हुए, यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जाता है कि प्रतिवादी सक्षम क्षेत्राधिकार के विद्वान सिविल न्यायालय से संपर्क कर सिविल मुकदमे के उपाय का लाभ उठाने का हकदार था। वर्तमान सहजता में प्रतिवादी द्वारा यही किया गया है। प्रतिवादी द्वारा दायर सिविल मुकदमे पर विचार करते समय और साथ ही दिनांक 3.12.2013 (अनुलग्नक पी-1) पर लागू अंतरिम आदेश पारित करते समय, विद्वान सिविल न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है, जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

(12) जहां तक याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का सवाल है, सभी चार निर्णय पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर दिए गए थे, इस प्रकार, स्पष्ट रूप से अलग-अलग थे। **महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (सुप्रा)** में पहले फैसले में, मुद्दा आयोग और लाइसेंसधारी के बीच था, इसके अलावा तथ्य पूरी तरह से अलग थे, लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच उस सहजता में कोई विवाद शामिल नहीं था, जो यहां शामिल मुद्दा है। माम चंद के मामले में दूसरा निर्णय भी विभिन्न तथ्यों पर आधारित था। इसमें शामिल मुद्दा अधिनियम की धारा 126 के तहत किए गए मूल्यांकन से उत्पन्न हुआ था, जो यहां मामला नहीं है। इसी तरह, **अनवर अली के मामले (सुप्रा)** में, उठाया गया मुद्दा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता फोरम के अधिकार क्षेत्र के संबंध में था, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा कोई मुद्दा शामिल नहीं है। फिर, **धीरज सिंह के मामले (सुप्रा)** में दिए गए दिल्ली प्रथम न्यायालय के फैसले में अधिनियम की धारा 42(8) के दायरे का भी उल्लेख नहीं किया गया था। उस सहजता में, उपभोक्ता ने कथित दोषपूर्ण बिलों के

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

संबंध में रिट याचिका दायर करते हुए सीधे प्रथम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। रिट याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता को अधिनियम की धारा 42(5) और (6) के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय से वंचित कर दिया। यह देखा गया कि एक बार अधिनियम के तहत शिकायत कक्ष बनाया गया था। उपभोक्ता को सीधे उच्च न्यायालय नहीं जाना चाहिए था। वर्तमान मामले के अन्य तथ्य, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, पूरी तरह से अलग हैं और याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों पर स्पष्ट रूप से भिन्न होने के कारण उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं।

(13) इसके अलावा, यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि किसी भी संहिताबद्ध या निर्णय-निर्मित कानून को लागू करने से पहले प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखा, जांचा और सराहा जाना चाहिए। कभी-कभी, एक अतिरिक्त तथ्य या परिस्थिति भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है, जैसा कि **पद्मसुंदराव पा और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य**⁵ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था।

(14) विधायिका ने, अपने विवेक से, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केवल अधिनियम की धारा 126 के तहत अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई या अधिनियम धारा 127 के तहत और उसके अंतर्गत आने वाले संबंधित मामले अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश से उत्पन्न होने वाले मामलों तक सीमित कर दिया है। चूंकि वर्तमान सहजता में, याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 56 के तहत विवादित कार्रवाई स्वीकार कर ली गई है, इसलिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार, विद्वान सिविल न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है, जो इस कारण से भी बरकरार रहने योग्य है।

(15) इस अदालत द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को **यूएसईआर राजधानी पावर लिमिटेड बनाम अशोक कुमार**⁶ में दिल्ली प्रथम न्यायालय के फैसले और **पीएसईबी, पटियाला और अन्य बनाम मेसर्स गुरु नानक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्क्स और अन्य**⁷ और **मेसर्स भारत ऑटो**

⁵ (2002)3 SCC 533

⁶ 2008 (72)AIC 613

⁷ 2007 (2) PER 363

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

केयर बनाम पीएसईबी और अन्य⁸ में इस अदालत के फैसले से भी समर्थन मिलता है। **अशोक कुमार के मामले (सुप्रा)** में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

(16) यह स्पष्ट है कि 1 विद्युत अधिनियम की धारा 145 एक सर्वव्यापी धारा नहीं है जो उपभोक्ता द्वारा बिजली के उपयोग से संबंधित सभी और हर मामले के संबंध में सिविल अदालत के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है। धारा 145 केवल उन मामलों के संबंध में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है जो धारा 126 और 127 के अंतर्गत आते हैं। धारा 145 की कोई अन्य व्याख्या नहीं दी जा सकती है। विद्युत अधिनियम की धारा 42(5) और (6) का उल्लेख करते हुए, यह स्पष्ट है ये दो प्रावधान वितरण लाइसेंसधारी पर राज्य आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ता की शिकायत निवारण के लिए एक मंच बनाने का दायित्व डालते हैं। उपभोक्ता को फोरम में अपनी शिकायत के निवारण के लिए अभ्यावेदन देने का विकल्प भी दिया जाता है और यदि वह फोरम द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो राज्य आयोग द्वारा नियुक्त लोकपाल के पास जा सकता है।

” 6. धारा 42 में यह प्रावधान नहीं है कि फोरम बनने और कार्रवाई में आने के बाद सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित हो जाएगा। बल्कि धारा 42(8) में विशेष रूप से कहा गया है कि उप-धारा (5) (6) और (7) के प्रावधान उपभोक्ता के उस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे जो उसे इन उप-धाराओं द्वारा प्रदत्त अधिकार के अलावा प्राप्त हो सकता है। यदि ये उप-धाराएँ नहीं होतीं, तो उपभोक्ताओं के लिए निवारण का एकमात्र उपाय सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होता। विद्युत अधिनियम में कोई अन्य तंत्र प्रदान नहीं किया गया है जहां कोई उपभोक्ता दोषपूर्ण बिल के खिलाफ जा सके। इस प्रकार जहां कोई बिल दोषपूर्ण है, उपभोक्ता के पास विकल्प है कि वह सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले धारा 42(5) के तहत बनाई गई शिकायत निवारण प्रणाली का सहारा ले सकता है। हालाँकि, शिकायत निवारण प्रणाली से संपर्क करने के बाद भी, यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो उसके पास अभी भी अपने विवाद के फैसले के लिए सिविल अदालत में जाने का उपाय है।

7. XX XX XX XX

⁸ 2012 (5) RCR (Civil) 64

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

जब अदालत का ध्यान धारा 42(8) की ओर आकर्षित किया गया तो अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता के पास किसी अन्य फोरम के समक्ष अधिकार हैं, तो वह उन अधिकारों का लाभ उठा सकता है और इसका मतलब यह नहीं होगा कि कानून के तहत उसके लिए वैकल्पिक उपाय का सिद्धांत उपलब्ध होना चाहिए। धारा 42(8) के मद्देनजर नजरअंदाज किया गया। इसका मतलब केवल यह है कि उपभोक्ता धारा 42(8) का भी सहारा ले सकता है क्योंकि इसमें वैकल्पिक उपचार का प्रावधान है। उच्च न्यायालय केवल रिट याचिकाओं की बाढ़ से चिंतित था जो इस तथ्य के बावजूद कि अधिनियम में ही शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान की गई थी, उच्च न्यायालय में आ सकती है।

8. इस अदालत ने यह नहीं देखा कि सिविल अदालत का क्षेत्राधिकार वर्जित था। अन्यथा भी यह स्थापित कानून है कि सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बहिष्कार को बहुत सख्ती से समझा जाना चाहिए। आमतौर पर, एक सिविल कोर्ट के पास सभी सिविल विवादों पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होता है और जब तक सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को विशेष रूप से वर्जित नहीं किया जाता है, तब तक न्यायालय सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार के वर्जित होने का अनुमान नहीं लगा सकता है।

15) इसी प्रकार, **मेसर्स गुरु नानक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्क्स मामले (सुप्रा)** में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियां, जिनका वर्तमान मामले में लाभकारी रूप से पालन किया जा सकता है, निम्नानुसार पढ़ें: -

16) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील का एकमात्र तर्क यह है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 145 के प्रावधानों के मद्देनजर सिविल कोर्ट के पास मुकदमे पर विचार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए, कोई निषेधाज्ञा नहीं है दिया जा सकता था।

XX XX XX XX

5) निचली दोनों अदालतों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई मांग के खिलाफ निषेधाज्ञा दी है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के साथ धारा 145 को पढ़ने से पता

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)
चलता है कि वर्तमान मुकदमे में विवादित मामला अधिनियम की धारा 126 या 127 के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित नहीं कहा जा सकता है। "

(16) **अशोक कुमार के मामले (सुप्रा)** के साथ-साथ **गुरु नानक इंजीनियरिंग वर्क्स के मामले (सुप्रा)** में की गई उपरोक्त टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपयुक्त रूप से लागू होती हैं। एक बार विधायिका ने अधिनियम की धारा 42(8) के तहत उपभोक्ता को यह स्वतंत्रता दे दी है कि अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा 5,6 और 7 के प्रावधान उसकी शिकायत के निवारण के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जैसे उपभोक्ता को प्रदत्त मूल्यवान वैधानिक अधिकार छीना नहीं जा सकता।

(17) वास्तव में, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 8 का अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 5,6 और 7 पर अधिभावी प्रभाव है, जिसका अर्थ है कि उपधारा 5,6 और 7 के तहत उसके अधिकार के बावजूद, उपभोक्ता अपनी शिकायत के निवारण के लिए सिविल कोर्ट में जाने सहित अपने अन्य अधिकारों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को बिना किसी बल के पाया गया है। वह आक्षेपित आदेश में किसी भी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या आसानी के रिकॉर्ड पर स्पष्ट पेटेंट अवैधता को इंगित करने में विफल रहा है, खासकर जब आक्षेपित आदेश दोनों पक्षों के विद्वान वकील की उपस्थिति में विद्वान सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया गया था।

(18) कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(19) ऊपर बताए गए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस अदालत का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका गलत है, योग्यता से रहित है और बिना किसी सार के है, इसलिए इसे विफल होना चाहिए। हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बना है।

(20) परिणामस्वरूप, तत्काल रिट याचिका खारिज कर दी जाती है, हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम हरजीत सिंह (रामेश्वर सिंह मलिक, नयायाधीश)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कुरुक्षेत्र, हरियाणा